समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 3 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2022

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

पाँच राज्यों ने जाति आरक्षण को कहा टाटा, बाय-बाय

जयपुर। 10 मार्च को जिन पांच राज्यों क्रमश: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में से चार प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और कथित गोदी मीडिया की साख बढ गई। इसके समानान्तर घटना के रूप में देखे तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीतकर वहां के इतिहास में नई कहानी जोड़ दी जो शायद कभी पुरानी नहीं होगी। इन दोनों बड़ी बातों से बड़ी एक और बात हुई है और वो ये है कि देश की जनता ने जातिवादी आरक्षण को बाय-बाय,टाटा,गुडबाय कह दिया।

विशेषकर यूपी चुनावों से पहले जो माहौल बनता दिख रहा था वह चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गया। मोर्य, राजभर, चन्द्रशेखर जैसे जातिवादी नेताओं ने जैसी डींगे हांकी थी वे सब टॉय-टॉय फिस हो गई। मायावती को तो जैसे चुनावों से ठीक पहले ही सांप सूंघ चुका था। विशेषकर बसपा के विधायकों का एक मुश्त पार्टी नेतृत्व से मोह भंग होना और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मायावती की दिखावटी सक्रियता पार्टी कार्यकर्ताओं में तनिक भी जोश न भर सकी। इसी का परिणाम है कि जिस बसपा ने यूपी में सालों शासन किया उसके विधायकों की संख्या 18 से सिमट कर मात्र एक रह गई।

हालांकि कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने यूपी में जातिवादी जिद छोड़ कर ''लड़की हूँ लड़ सकती हूँ'' जैसा लोक लुभावन नारा दिया लेकिन धरातल पर काम नहीं कर पाने के कारण उनकी सात सीटें सिमट कर मात्र दो रह गई। सवा सौ साल पुरानी किसी पार्टी का ऐसा हश्र भी हो सकता है यह किसी के सपने में भी नहीं आ सकता। जबकि शुद्ध जातिवादी डींगें हांकने वाला चन्द्रशेखर अपने किसी प्रत्याशी को क्या जिताता, उसकी अपनी ही जमानत जब्त हो गई।

कांग्रेस बार-बार अपने जातिवादी मुखौटे को फिर से लगाना चाहती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। पंजाब में इस पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह की अपरिपक्व उठापटक के बाद चन्नी को जातिवादी आधार पर मुख्यमंत्री बनाकर उन्हीं के जातिवादी झण्डे के नीचे चुनाव लड़ने की विधिवत जातिवादी घोषणा की लेकिन ना समझ नेतृत्व (राहुल-प्रियंका) के चलते सत्ता उनके हाथों से गई सो गई विधायकों की गिनती 77 से घटकर मात्र 18 रह गई।

बेशक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 77 सीटों की बड़ी छलांग लगाकर 124 सीटें जीतकर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी का खिताब हासिल किया लेकिन उनकी यह अधूरी उपलब्धि जात से अधिक धार्मिक ध्रुविकरण का परिणाम रही। जबकि सत्ता में शानदार वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ और भाजपा की जीत स्पष्टत: विकास और सुशासन की जीत ही कही जायेगी।

अध्यक्ष की कलम से

प्रधानमंत्री का एक शुभ कदम

साथियो।

बहुत शुभ संकेत है। कुछ अविश्वसनीय सा सच है। प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में परिवारवाद पर तल्ख टिप्पणियाँ कोई चुनावी जुमला नहीं वर्तमान की सच्चाई है जो हाल ही चुनावों में विजयी विधायकों की बैठक से प्रमाणित हो गया।

विजयी विधायकों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ कहा कि 'अगर विधान सभा के चुनावों में आपके बच्चों के टिकट कटें है तो इसकी वजह मैं हूँ। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बडा खतरा है। उन्होने ये भी कहा कि वंशवाद से जातिवाद को बढावा मिलता है। इसलिये दूसरी पार्टियों में भी वंशवाद के खिलाफ लडाई लड़ी जायेगी।'

साधो -साधो - साधो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सच में साधुवाद के पात्र हैं। वंशवाद को जातिवाद से जोड़कर उन्होंने परोक्ष में आमतौर पर घोषित कर दिया कि अधिकांश पार्टियाँ वंशवाद के कारण ही जातिवादी आरक्षण का समर्थन करती हैं। उनका ये कथन और कर्म अगले दो पाचँ सालों में भारत से जातिवादी आरक्षण की विदाई की घोषणा माना जा सकता है।

यह तथ्य है कि वंशवाद व्यक्तिवाद को जन्म देता है और व्यक्तिवाद जातिवाद का पोषक है। और ये तीनों ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। कम से कम समता आंदोलन प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति को उनका पुरूषार्थ मानकर अभिनंदन करता है। एक बार पुन: प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी को साधो-साधो-साधो।

जय समता।

यह कैसी बंदिश: ईडब्ल्यूएस के लिए पिता और पति दोनों का आय प्रमाण पत्र जरूरी

पति गरीब....पिता की आय अच्छी तो नहीं मिल पा रहा आर्थिक आरक्षण

जयपुर: महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के दावों के बीच सरकार का अजीब नियम लगभग 50 हजार से अधिक महिलाओं का आरक्षण का अधिकार छीन रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाएं इस पीड़ा को भोग रही हैं।

दरअसल शादी के बाद इस वर्ग की महिलाओं को आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पति और पिता की आय का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। इन दोनों की आय आठ लाख से अधिक होने पर महिलाओं के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। सरकारी तर्क है कि भले ही पति गरीब हो लेकिन महिला की परवरिश अच्छी है तो वह ईडब्ल्यूएस की हकदार नहीं होगी। ऐसी कई विसंगतियों के चलते अभ्यर्थी तहसील और उपखंड कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं।

समझें किस तरह परेशानी हो रही

1. अलवर निवासी भानू सिंह की शादी करौली में हुई। वहाँ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने पर पति और पिता का आय प्रमाण पत्र मांगा गया। उसके पति की आय कम है, लेकिन पिता की अधिक। ऐसे में, आठ लाख से अधिक आय होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।

2. जयपुर निवासी अंकिता शर्मा के पति निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अंकिता के पिता सरकारी नौकरी में है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए दोनो की आय आठ लाख होना जरूरी है। लेकिन पिता की आय अधिक होने के कारण अंकिता को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

नौकरी में नहीं मिल रहा लाभ

सरकार के इस अजीब नियम से प्रदेश की करीब 50 हजार महिलाएं नौकरी में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में प्रभावित महिलाओं का कहना है कि सरकार नियमों में संशोधन करे तो उन्हें राहत मिल सकती है।

महिलाओं की यह है मांग

पीडित महिलाओं का कहना है कि सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ पति की ही वार्षिक आय को शामिल किया जाना चाहिए। विवाहित महिला की वार्षिक आय में माता-पिता का योगदान नही होता।

सीएम को पत्र लिखा है, समाधान करवाएंगे

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं। अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। समाधान के लिए हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। उन्हें एक पत्र भी सौंपा है। सरकार अभ्यर्थियों के हित में फैसला करेगी।

विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि जब नियम बने, उस समय पिता और पति का नाम लिखा। ये अपभ्रंश रह गया। अधिकारियों ने दोनो विकल्प को मान्य लिखा। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के बाद महिला के नाम के साथ पति का नाम जुड जाता है। इसमें संशोधन जरूरी है। सीएम से बात हुई है।

यह बडी विसंगति है। इसे दूर करना चाहिए। अभ्यर्थी परेशान हो रहे है।

युक्रेन में छात्र की मौत, आरक्षण है जिम्मेदार

आरक्षण कुव्यवस्था के कारण प्रतिभाएं पलायन को मजबूर...

युक्रेन - रूस युद्ध के बीच भारत के लिए एक दुखदायी खबर आई। युक्रेन में एक 22 वर्षीय भारतीय छात्र नवीन शेखराप्पा की मौत हो गई।

सभी राजनीतिक दल और मिडिया चेनल ने इस घटना की निंदा की। किन्तु वे मृतक नवीन के पिताजी का बयान पूरी तरह समझ नहीं सके।

नवीन के पिता ने स्पष्ट तौर पर देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे जातिगत आरक्षण को नवीन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

नवीन के पिता ने बताया कि नवीन ने 97 प्रतिशत अर्जित किए किन्तु जातिगत आरक्षण नीति के कारण नवीन को देश में पढने का अधिकार नही मिला। जिसके कारण मजबूरन उसे देश छोडकर युक्रेन में पढाई के लिए जाना पडा।

सम्पादकीय

जातीय आरक्षण का विकल्प जातीय समरसता

कागज पर खींची गई रेखा को बिना काँटे-छांटे या मिटाये छोटी दिखाने का सबसे सरल और कारगर उपाय यही है कि उसके पास ही एक दूसरी बडी रेखा खींच दी जावे। भारत में जाति आरक्षण मामले में ऐसा ही होता स्पष्ट दीख रहा है। कम से कम हाल ही सम्पन्न हुए पाँच राज्यों के चुनाव में यह तथ्य एकदम साफ उभर कर सामने आया है।

इसमे कोई शक नही कि भारतीय संविधान ने पिछडों को अगड़ा बनाने के लिए राजनैतिक क्षेत्रों में जो आरक्षण दिया था वही धीरे-धीरे बदलकर जाति आरक्षण के रूप में देश की सबसे बडी समस्या बन गया। यहाँ तक कि रूस चेचेन्या के बीच छिडे युद्ध ने हाल ही स्पष्ट कर दिया कि जाति आरक्षण से पीड़ित हजारों छात्रों ने पराये देश चेचेन्या में जाकर अपने भाग्य की तलाश करते रहे थे। इसी तरह का प्रतिभा पलायन भारत से अमेरिका, इग्लैंड, जर्मनी, जापान कि लिए भी हुआ है।

प्रतिभा पलायन यदि पैसे या प्रतिष्ठा के लिए किया जावे तो थोडा समझ में आता है। लेकिन जाति आरक्षण के कारण से होता है तो मन को पीड़ा होती है। यही पीड़ा कई सालों से प्रश्न बनकर कई बार संसद और सरकारों के सामने उठती रही हैं। लेकिन लोक कल्याण की अधूरी परिभाषा के चलते इन प्रश्नों को अनसुना किया जाता रहा है। और यदि चेचेन्या युद्ध में एक छात्र की मृत्यु और दूसरे छात्र को गोली न लगी होती तो शायद अभी भी हालत पर कोई विचार नहीं करता।

यह दुखद है कि 130 करोड जनसंख्या वाले सर्वसम्पन्न विशाल देश से हजारों छात्र ऐसे छोटे से देश में जाकर शिक्षा प्राप्त करें जिसकी जनसंख्या मात्र साढे चार करोड है? इस प्रतिभा पलायन का बुरा परिणाम कोरोना काल में देश ने भुगता है। शायद दुनिया के किसी भी संविधान में ऐसी व्यवस्था नही होगी किसी युवक को उसके पूर्वजों द्वारा किये गये काल्पनिक अपराध का दण्ड दिया जाता हो। हमारे देश में पिछले कई दशकों से यही होता रहा है। अदालतें इसे संविधान की भावना के विरूद्ध मानती रहीं लेकिन संसद और सरकारों ने नही सुना।

लेकिन हाल ही पाचँ राज्यों के चुनावों में एक तरह से घोषणा कर दी है कि देश अब जातीय आरक्षण की जकड़न से मुक्त हो रहा है। लेकिन, यहाँ अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है क्योकि देश इससे भी अधिक गंभीर धार्मिक ध्रुवीकरण के जाल में उलझता जा रहा है। जातीय आरक्षण यदि 75 साल तक चला तो भी वह हमारा निजी मामला था। आन्तरिक पीडा थी जिसे हम झेलते रहे, सहते रहे। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा यह यक्ष प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ है।

जहर, जहर को मारता है- यह कोई मुहावरा अथवा लोकोक्ति मात्र नही है वरन एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन सामाजिक धरातल पर इसे लागू किया जाना इतना आसान नही है। अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं और वर्जनाओं के बाहर कोई देश खड़ा नही रह सकता है। किसी भी देश को जिद और जड़ता की छूट नहीं देती है। कुवैत के मामले में इराक ने इसका सबक सीखा है। रूस जैसी महाशक्ति भी चेचन्या को बर्बाद करके भी उस पर अधिकार नही कर सकता है। इन अन्तर्राष्ट्रीय हालातों में भारत को भी याद रखना पड़ेगा कि जातीय आरक्षण के दैत्य का वध करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का राक्षस खड़ा नही किया जा सकता। अत: जातीय आरक्षण की रेखा को छोटा करने के लिये जातीय समरसता की बड़ी रेखा खींचनी होगी। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

सामाजिक न्याय प्राप्ति में बाधाऐं

भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर पिछले कुछ वर्षों से मंडरा रहे खतरों ने चिन्तित कर रखा है। ये खतरे सामाजिक न्याय के विरोधियों की ओर से भी है और आंतरिक भी हैं। सबसे बडा खतरा इस अवधारणा के संकुचन का है। सामाजिक न्याय का अर्थ उन सभी व्यक्तियों को जाति, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि भिन्नताओं के कारणों से शक्ति के स्त्रोतों अर्थात आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक आदि से दूर धकेले गये तबकों को न्याय उपलब्ध करवाना है, जिन्हें किसी भी प्रकार के वर्चस्व के कारण अन्याय का सामना करना पड रहा है।

सामाजिक न्याय अपने मूल रूप में विशेषाधिकार आधारित योग्यतावाद के विरूद्ध एक निरन्तर संघर्ष है। जीवन के हर क्षेत्र में सभी को समान अवसर की उपलब्धता के लिए संघर्ष व सामाजिक विविधता का सिद्धांत- इस संघर्ष के अस्त्र-शस्त्र है। सामाजिक न्याय का अर्थ आज लोग वंचित तबकों को राजनीति में आरक्षण से चुनाव जीत लेना एवं सरकारी व निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण से लगाते हैं। इसे ही सामाजिक न्याय की लडाई का अन्तिम छोर मानते हैं।

सामाजिक न्याय का सपना तो सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समाज का सपना है। इस अर्थ में महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, सन्त कबीर एवं काल मार्क्स की भावनाओं का विस्तार है। किन्तु भारतीय समाज की वर्चस्ववादी शक्तियाँ चाहती हैं कि यह लडाई इसी संकुचित रूप में सिमटी रहे और उनके अधीन विभिन्न प्रकोष्ठों में चलती रहे। भारत में सामाजिक न्याय का संघर्ष मुख्य रूप से द्विजों और शूद्रों- अतिशूद्रों व आदिवासियों के बीच है। जिसमें द्विज अल्पसंख्यक है, जबकि शूद्र-अतिशूद्र आदिवासी बहुसंख्यक हैं। राजनीतिक पार्टियाँ अपने संगठन में ओबीसी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ आदि रखती हैं। यह बहुजन तबकों के संघर्ष को प्रकोष्ठों में बन्द करने का तरीका है। जब बहुजन समुदाय उनके प्रकोष्ठों में बन्द हो जाते हैं, तो स्वत: ही अल्पसंख्यक द्विज भारतीय राजनीति की मुख्यधारा बन जाते हैं।

बहुजन शब्द 'बुद्ध' के सूत्र वाक्यक 'बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय' से आया है। इसका अर्थ है, अधिकतम लोगों के हित के लिए हो। कोई किसी पर वर्चस्व स्थापित ना करे। जबकि बहुसंख्यकवाद का अर्थ है, बहुसंख्यक लोगों का अल्प संख्यकों पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व व उनकी संस्कृति का हरण। हिन्दुत्व की राजनीति अपने मूल रूप में यही करने की कोशिश करती है।

> सामाजिक न्याय का सपना तो सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समाज का सपना है। इस अर्थ में महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, सन्त कबीर एवं काल मार्क्स की भावनाओं का विस्तार है। किन्तु भारतीय समाज की वर्चस्ववादी शक्तियाँ चाहती हैं कि यह लडाई इसी संकुचित रूप में सिमटी रहे और उनके अधीन विभिन्न प्रकोष्ठों में चलती रहे।

हालांकि हिन्दुस्तान में वास्तव में हिन्दुत्ववाद से अधिक मजबूत ब्राह्मणवाद की राजनीति रही है। जो कि वास्तव में अल्पसंख्यकवाद है, ना कि बहुसंख्यकवाद। सामाजिक न्याय की अवधारणा में हमें दोनों अतियों से बचना होगा। इसे उस अंतिम समुदाय और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा जिसे किसी कारण से वंचना झेलनी पडी है।

विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में भारतीयों की संख्या निरन्तर बढती जा रही है जो कई वर्षों से अखबारों एवं मीडिया की सुर्खिया बन रही हैं। किन्तु भारत के अमीर लोगों की सूची में न कोई ओबीसी है, ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है और ना ही कोई मुसलमान।

दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योगपतियों की हैसियत इनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वहां तो वे पहाड के नीचे खडे ऊंट की तरह ही दिखेंगे। बहुजन समुदाय के पास इतनी राजनीतिक जीतों के बावजूद भी किसी व्यक्ति के पास कोई अखबार या टी.वी. चैनल नहीं है जिसे 'मुख्यधारा' कहा जा सके। इस बडे सवाल का उत्तर है कि बहुजन समाज के किसी व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है, जिससे 'मुख्यधारा' के अखबारों व टी.वी. चैनलों का मुकाबला कर सकें।

फिलहाल इस मामले में हमें भारत में 'बहुजन डायवर्सिटी मिशन' के संस्थापक एच.एल. दुषाद से सहमत होना होगा कि सत्ता के सभी केन्द्रों और सभी प्रकार के संसाधनों के मालिकाना हक में सामाजिक विविधता ही सामाजिक न्याय का कारगर उपाय है। आरक्षण उस दिशा में चलने के लिये जरूरी शुरूआती कदम है। लेकिन जरूरत यह है कि हम पहली मंजिल पर ही ना रूक जावें बल्कि आगे के रास्तों पर भी नजर रखें।

सामाजिक न्याय प्राप्ति की त्रासदी के रूप में देश में वर्ण व्यवस्था द्वारा भारतीय समाज सदियों से परिचालित होता रहा है। वह व्यवस्था दुनिया की सर्वाधिक अन्यायकारी व्यवस्था है और इसी के कारण देश में सामाजिक अन्याय का सबसे शर्मनाक अध्याय लिखा गया है।

शक्ति के स्त्रोंतों के असमान बंटवारे की नीति दूरगामी उददेश्य से विदेशी मूल के मनीषियों (आर्यों) द्वारा जारी रखी। इसमें अध्ययन- अध्यापन, पौरोहित्य, राज्य संचालन, सैन्य वृति, व्यवसाय एवं वाणिज्यिक इत्यादि के अधिकार सिर्फ द्विज वर्ग के अधिकार में रहे।

चूंकि इसमें वर्ण एवं जाति व्यवस्था की कठोरता थी। इसीलिए सारे पेशे कर्म/जाति/वर्ण सूत्र से पीढी दर पीढी हस्तांतरित होते रहे। इसी से वर्ण व्यवस्था ने एक आरक्षण व्यवस्था का रूप ले लिया था जिसमें दलित- आदिवासी- पिछडे और महिलाओं को शक्ति के सभी स्त्रोंतो से पूरी तरह बहिष्कृत करके चिरकाल के लिए पंगु बना दिया गया। जिनके लिए आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियाँ, धर्म आधारित विद्वानों से पूरी तरह निषिद्ध थी। यही नहीं लोग उनकी छाया तक से दूर रहते थे, ऐसी स्थिति दुनिया के किसी भी मानव समुदाय की कभी नहीं रही।

बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में लागू किया गया आरक्षण और कुछ नहीं बल्कि जाति,नस्ल, रंग, लिंग व धर्म आदि के भेदभाव के कारण शक्ति के स्त्रोतों से जबरन वंचित किये गये लोगों को कानून की ताकत से शक्ति के स्त्रोतों पर हक दिलाने का अचूक औजार है जो परिवर्तीकाल में दलित-पिछडों को सामाजिक अन्याय से उबारने में काफी कारगर सिद्ध हुआ। जिन दलितों के लिए स्कूल की पढाई करने का कल्पना करना दुष्कर था वे झुण्ड के झुण्ड विधायक, सांसद, कलेक्टर, एस.पी., एस.डी.एम., डॉक्टर, इंजीनियर व न्यायाधीश आदि बनकर देश की मुख्यधारा से जुडने लगे हैं।

शेष पृष्ठ-4 पर पढे-सामाजिक न्याय

पौराणिक कथन : 'वृषदर्भ'

विवस्वन के पुत्र राजर्षि जिन्होंने पूरे जीवन ब्राह्मणों को केवल सोने-चांदी का दान दिया।।

सुख सरिता के सारे सपने,
अब जातिवादी ने लील लिये।
जातिवाद ने परमारथ के-
रस्ते सारे ही सील किये।।

कविता

''तमस बड़ा घनघोर''

जाति सी नागिन यहाँ
दिखि नहीं कोई ओर।
जिसको भी डसले जरा
उसको न कोई ठोर।
देख कर चलना जरा
रात बेहद घनघोर।
हर कदम बैठे यहाँ
बस जातिवादी ढोर।
चलते चलते थक गये
नहीं राह का छोर।
लाठी टेक के चल रहे
जो थे कभी किशोर।
लम्बी और संकरी डगर
दोनों तरफ है थोर।
थोड़ा भी चूके यदि
छूट जायेगी डोर।
फटे ढोल पर वे सभी
थाप मारते जोर।
सौ गिनके न एक दे
जात के शंख ढपोर।
आज तलक सुनते नहीं
जंगल नाचे मोर।
अब शहरों के बीच भी
नाचें जात के चोर।
सरकारें अंधी हुई
सभी मचाते शोर।
पर कुछ भी दिखता नहीं
तमस बड़ा घनघोर
– सुभाष –

अब घर बैठे ले सकते हैं कानूनी सलाह

जनरल कैटेगरी के लोगों को देने होंगे 30 रूपए, बाकी फ्री सेवा

अब आम जनता कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कंप्यूटर पर वीडियो कांफ्रेंसिग या मोबाइल के माध्यम से कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए टेली लॉ के जरिये अधिकृत वकीलों से कानूनी सलाह ली जा सकती है। कॉमन सर्विस सेंटर पर जनरल कैटेगरी के पुरूषों से 30 रूपए और बाकी कैटैगरी को निशुल्क कानूनी सलाह प्रदान की जाती है।

कानूनी सलाह लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल से कराना होता है। उसके बाद संबंधित व्यक्ति के पास एसएमएस से निर्धारित तिथि और समय की जानकारी दी जाती है। निर्धारित तिथि व समय पर पहुँचकर व्यक्ति चयनित वकील से फोन एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने केस से संबंधित जानकारी ले सकता है।

इनके लिए निशुल्क है कानूनी सलाह:-महिलाएं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप, बाढ, सूखा, दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा एवं देह व्यवहार से पीड़ित, बीपीएल परिवार, आदि।

देश और राज्यों की स्थिति

गतांग से आगे:

जतिंदर पाल सिंह मामले में प्रधानचार्य के सर्वोच्च 134 पद (प्रधानाध्यापक के सूत्रों से) तथा सर्वोच्च 72 पद (प्रधानाध्यापक के सूत्रों से) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अधीन होगें। कहा गया है कि इसे पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत (अध्यापकों की) संख्या में जोड़ देने से स्थिति यह हो जाएगी कि इन श्रेणियों में सर्वोच्च क्रमश: 217 और 111 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे-यानी क्रमश:100 प्रतिशत और 71 प्रतिशत। यदि इस क्षेत्र में इसी तरह सबके सब व्यक्ति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ही हो जाएँगे तो प्रधानाचार्य के इतर पदों का क्या होगा।

(3) कमल कांत मामले में, आज की स्थिति के अनुसार--(अ) उप-सचिव के कुल पदों मे से पहले 8 पद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के अधिकार में हैं; (ब) अवर सचिव (श्रेणी 'अ') के प्रथम 14 पद आरक्षण श्रेणी के व्यक्तियों के अधिकार में हैं। निस्संदेह उपर्युक्त तथ्य पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सभरवाल मामले में निर्णय आने तक रोस्टर सिस्टम बार-बार लागू किए जाने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है; हालाँकि रोस्टर सिस्टम के बार-बार लागू करने से उत्पन्न इस प्रकार की स्थिति की गहराई में जाने की कोशिश किसी ने नहीं की है। अब इसे सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियों के प्रकाश में लाकर देखें, जो उसने इस तरह के अन्य मामलों में दी हैं। आर.के. सभरवाल मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था-याचिका में कहा गया है कि वादी (याचिकाकर्ता) संबंधित सेवा की वरिष्ठता सूची में क्रमश: 19वें, 23वें, 26वें, 29वें, 30वें, 31वें 34वें और 38वें स्थान पर हैं; जबकि प्रतिवादी क्रमश: 46वें, 104वें और 152वें स्थान पर हैं। प्रतिवादी रतन सिंह को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर पदोन्नति देकर मुख्य अभियंता बना दिया गया और इस प्रकार वह अपने 36 वरिष्ठ सहकर्मियों-जिनमें वादी भी शामिल थे- से आगे निकल गए। इसी तरह प्रतिवादी सुरजीत सिंह और ओम प्रकाश अपने क्रमश: 82 और 87 वरिष्ठ सहकर्मियों से आगे निकलकर आरक्षण कोटे के अंतर्गत अधीक्षक अभियंता पद पर पदोन्नत हो गए। वादियों के अनुसार, प्रतिवादियों की पदोन्नति के समय पे पिछले कई वर्षो से अधीक्षक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी 4, 5 और 6 उस समय कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे और वादी अभियंता अधीक्षक के रूप में ।

समय-समय पर दिए गए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के

> ''आरक्षण और उससे संबंधित नियमों को इस हद तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि उससे उलटा भेदभाव शुरू हो जाए ''उन्हें '' इस हद तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि वे समानता के मौलिक अधिकार संबंधी सिद्धांत के लिए उल्लंघनकारी बन जाएँ '' कि '' सकारात्मक कदम वहीं रूक जाते हैं, जहाँ उलटा भेदभाव शुरू होता है '' कि ''संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ-निरूपण कुछ इस उद्देश्य से करना चाहिए कि उससे आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हो।

निर्णयों से इस प्रकार अन्य अनगिनत उदाहरण लिये जा सकते हैं। वर्ष 2006 तक यह स्थिति बिलकुल ऐसी ही बनी रही। 'दि इंडियन एक्सप्रेस' के संवाददाताओं ने विभिन्न राज्यों से जो खबरें भेजी थीं, उनसे रोस्टर सिस्टम के दुष्परिणामों की पूरी झलक मिल जाती है।

गुजराज से प्राप्त समाचार में एक महिला अधिकारी बी.जी. का मामला सामने आया था, जिसने सन् 1978 में अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। रोस्टर सिस्टम के चलते आज वह अतिरिक्त सचिव के पद पर पहुँच गई है। उसके बैच के अन्य 16 अधिकारी अभी नीचे ही अटके पड़े हैं।

पंजाब की बात करें तो इस रोस्टर सिस्टम के चलते यहाँ का राज्य विद्युत् बोर्ड लगभग विभाजित ही हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि 85वाँ संविधान संशोधन लागू होने के बाद मुख्य अभियंता के कुल 28 पदों में से 21 पदों पर आरक्षण कोटे से आनेवाले अभियंताओं का कब्जा हो जाएगा।इस प्रकार उच्च पदों पर पहले से ही किए गए आरक्षण क चलते वर्ष 2005 के अंतिम महीनों में अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्य कर रहे 110 अभियंताओं में केवल 10 को ही पदोन्नति मिल सकी-शेष अपनी पदोन्नति की बारी आने से पहले ही सेवानिवृत हो गए।

कर्नाटक में स्थिति यह है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति 33 सूत्रीय रोस्टर सिस्टम के अनुसार की जाती है-यानी किसी विभाग की हर सातवीं रिक्ति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को पदोन्नति द्वारा भरी जानी होती है और हर 32वीं रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पदोन्नति देकर भरी जानी होती है। उदाहरण के लिए-व्यक्ति 'अ' जिसने सन् 1970 में पुलिस विभाग में सेवा आरंभ की थी-उन उप-निरीक्षकों द्वारा वरिष्ठता सूची में पीछे छोड़ दिया गया, जो उसके नौ वर्ष बाद सेवा में आए थे। व्यक्ति 'ब' को वर्ष 2004 में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जबकि आरक्षण के जरिए उसके नौ वर्ष बाद सेवा में आने वाले अधिकारी पाँच वर्षो से पुलिस अधीक्षक के पद कार्य कर रहे हैं। एक सच्चाई यह भी है कि कर्नाटक मे पुलिस अधीक्षक के कुल 76 पदों में से 50 पदों पर पहले से ही आरक्षण कोटे के अंतर्गत आनेवाले अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में, जैसा 'दि इंडियन एक्सप्रेस ' के संवाददाता ने खबर दी थी, कुल लगभग 3,000 अभियंता हैं। इनमें से 650 अभियंता आरक्षण श्रेणी के हैं। पदों के वितरण में यहाँ बडी विषमताएँ देखी गई। उदाहरण के लिए-एक ओर सन् 1974 बैच के सामान्य श्रेणी के अभियंता वर्ष 2004-05 तक कार्यपालक अभियंता के पद तक ही पहुँच पाए थे और इसी तरह 1972 बैच के अधिकार उप-महाप्रबंधक स्तर के पद तक ही पहुँच पाए थे, जबकि दूसरी ओर वर्ष 1982 बैच के अनुसूचित जाति के अधिकार महाप्रबंधक बने बैठे थे और 1997 बैच के अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यपालक अभियंता के पद पर पहुँच गए हैं, जबकि 1985 में सेवा में आनेवाले सामान्य श्रेणी के अधिकारी अभी तक सहायक अभियंता के पद पर ही अटके पड़े हैं।

उत्तर प्रदेश संवाददाता द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की स्थिति दरशाती है-व्यक्ति 'अ' ने जनसंपर्क निदेशालय में वर्ष 1991 में सूचना सहायक के रूप में सेवा शुरू की थी। रोस्टर सिस्टम के अनुसार पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची में उसे छठे स्थान पर रखा गया था। व्यक्ति 'ब' ने आरक्षण कोटे के अंतर्गत दो वर्ष बाद यानी वर्ष 1993 में सेवा शुरू की थी। उसे वरिष्ठता सूची में 21वाँ स्थान मिला। इसके बावजूद उसे सहायक जनसंपर्क अधिकारी बना दिया गया और व्यक्ति 'अ' अभी तक अपने आरंभिक पद पर ही अटका पड़ा है और लगता हैं, अगले चार वर्षो तक वह उसी पद पर अटका रहेगा।

झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ रोस्टर सिस्टम के परिणाम न्यायालयों के सामने हैं। न्यायालयों के समक्ष लाए गए मामलों में एक मामला वर्ष 1980 बैच के अधिकारी एस.के.एस. का है। तत्कालीन संयुक्त बिहार राज्य की वरिष्ठता सूची में उसका सर्वोच्च 20 अधिकारियों में स्थान था। एस.एस. और जे.टी. काा नीचे से 20 अधिकारियों में स्थान था, लेकिन ये दोनों एस.एस. और जे.टी.-आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज पदोन्नति में आरक्षण की इस व्यवस्था के चलते एस.एस. और जे.टी. संयुक्त सचिव बन गए हैं, यानी एस.के.एस. के बॉस. जो अभी तक उप-सचिव के पद पर ही अटके पड़े हैं।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

पिछड़ेपन को नये सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता : पाराशर नारायण शर्मा

भरतपुर। समता आन्दोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा जी के मुख्य आतिथ्य में बैठक का आयोजन द पार्क होटल सारस चौराहा भरतपुर में किया गया । आगुन्तको का शाब्दिक स्वागत ओमप्रकाश शर्मा ने किया । राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समता आन्दोलन के वर्तमान मे चल रहे नौ सूत्रिय कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अब आरक्षित अनारक्षित का मुद्दा नहीं है। जब से EWS लागू हुआ है तब से जातिवादी व राष्ट्रवादी विचारधारा का मुद्दा है। आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले ना कि जाति के आधार पर। पिछड़ेपन को नये सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। जाति के आधार पर राजनीति नहीं हो।

समता आन्दोलन समिति की कई याचिकाए न्यायालय में विचाराधीन है व कई याचिकाओ पर निर्णय समता आन्दोलन के पक्ष में हो चुके हैं जिन्हें या तो सरकार लागू नहीं करतीं हैं या फिर संविधान में संशोधन कर फैसलों को पलट दिया जाता है, जिससे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों में असंतोष है ।

समता आन्दोलन को ग्राम व वार्ड तक पहुँचाने के लिए शहर, ब्लाक,वार्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर टीम का गठन किया जाए, विभिन्न व्यवसाय से सम्बंधित लोगों के प्रकोष्ठ का गठन किया जाए,उनका व्हाटस्एप ग्रुप बनाया जाए, फेसबुक पेज बनाएं, समता की वेबसाइट को देखते रहें, व्हाटस्एप पर समता आन्दोलन से सम्बंधित विचार पोस्ट करें आदि ।

भरतपुर की अब तक की प्रगति का प्रतिवेदन केदारनाथ पाराशर जिला अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमराज गोयल सम्भाग अध्यक्ष ने की। विशिष्ट अतिथि डॉ श्याम सुन्दर सेवदा चिकित्सा प्रकोष्ठ, ग घिराज राठौड़ सम्भाग अध्यक्ष जयपुर, दीपक सिंघल, ओम प्रकाश शर्मा सम्भाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ रहे।

इस अवसर पर कौशलेष शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष श्री ब्राह्मण सभा, सेवानिवृति जिला शिक्षा अधिकारी सतीश गुप्ता जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ, केदारनाथ पाराशर जिला अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति भरतपुर, विवेक गुप्ता तहसील अध्यक्ष बयाना, मुकेश गुप्ता नदबई, अतुल गुप्ता नदबई, सेवानिवृत प्रधानाचार्य रमेश भारद्वाज, सेवानिवृत प्रधानाचार्य रमा शंकर शर्मा, हरि ओम हरि,मनीष गुप्ता, बृज भूषण पाराशर, सेवानिवृत प्रधानाचार्य डॉ अशोक पाराशर, अशोक शर्मा विजय नगर, मनीष सोनी, अखिल लावनियाँ आदि समतावादी विचारधारा वाले लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अन्त में हेमराज गोयल व केदारनाथ पाराशर ने सभी सम्माननीय अतिथियों आभार व्यक्त किया।

सैन्य बलों को जाति के आधार पर अलग नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने NDA में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण से किया इनकार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर इस स्तर से निपटने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक क्रान्ति रातों रात नहीं आती और इसमें समय लगता है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने एनडीए में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की माँग वाली हस्तक्षेप याचिका पर कहा, 'सामाजिक क्रान्ति रातों रात नहीं होती, इसमें समय लगता है।' जस्टिस कौल ने कहा कि आप यहां नागरिक रोजगार के सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकते। सशस्त्र बल एक समरूप इकाई हैं। आप उन्हें जाति के आधार पर अलग नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने भारतीय सशस्त्र बलों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पूर्व महिला कैडेटों को शामिल करने और उनकी तैनाती के निहितार्थ का अध्ययन करने के लिए केन्द्र को जुलाई तक का समय दिया।

पीठ ने कहा कि फिलहाल वह इस स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से निपटने नहीं जा रही है, बल्कि इन शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर ही विचार करेगी, जो अब तक सिर्फ लड़को के लिए ही रहे हैं।

न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई को निर्धारित करते हुए कहा कि इस संबंध में किए जाने वाले अध्ययन का विवरण पेश किया जाये।

समता आन्दोलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संकल्पों की पूर्ति पर जोर

जयपुर। कई महिनों के बाद समता आन्दोलन के प्रदेश मुख्यालय में फिर से उत्साहित कार्यकारिणी सदस्यों की चहल-पहल हुई। कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में सदस्यों ने कोरोना काल के अनुभवों को साझा किया और यह भी माना कि इस राष्ट्रीय आपदा के दौरान भी हमारी गतिविधियाँ रूकी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य रोटेशन याचिका दायर करने की तैयारी का रहा। इसके लिए प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे लोगों को तलाशा गया जो क्षेत्रों के आरक्षण के बजाय सीटों के आरक्षण पर सहमत है। उदाहरण के तौर पर हर पार्टी इस बात के लिए बाध्य हो कि उसे कुल 59 आरक्षित सीटों के बदले अनुसूचित जाति-जनजाति के इतने ही सदस्यों को टिकट देगी और जिताने की कोशिक करेगी। ताकि आरक्षित क्षेत्रों में कथित सामान्य वर्ग को भी चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो सके और इन्सानों के बीच बदले जातीय विद्वेष को फैलने से रोका जाना सफल हो। मीटिंग में बताया गया कि हाईकोर्ट में लगने वाली इस याचिका की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

बैठक में अध्यक्ष ने जानकारी दी और तीन-चार प्रस्ताव रखे।

पहला प्रस्ताव ये रखा गया कि राजनीतिक नियुक्तियाँ लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। जबकि ऐसी नियुक्तियों की संख्या बढती ही जा रही है। हाल 43 बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति करके उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यह सब जनता के धन का दुरूपयोग है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलैक्शन और सलैक्शन ही मान्य है नोमिनेट करना एक तरह की राजशाही और सामन्तवादी व्यवस्था का प्रतीक है। अत: समता आन्दोलन हाईकोर्ट में याचिका दायर करके संवैधानिक शुचिता को बचायेगा।

पिछले तीन सालों से ''सांसद विधायक सलाहकार परिषद'' के गठन की कार्रवाही चल रही है लेकिन कोरोना प्रकोप के कारण उसमें प्रगति नहीं हो सकी। अत: चरणबद्ध तरीके से इसे फिर से सक्रिय किया जाकर पहले चरण में मण्डल मुख्यालयों पर गठन प्रक्रिया पूरी की जावेगी।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि सोशल मीडिया के इस दौर में समता आन्दोलन को भी अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए वाटसएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यू-टयूब आदि-आदि प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति बढानी पड़ेगी। टेलीग्राम प्लेटफार्म पर हजारों सदस्य बन चुके है जिन्हें बढा कर एक लाख किया जायेगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशभर में दौरा करके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक मत और एक स्वर में सभी प्रस्तावों को स्वीकृत किया। उपस्थित सदस्यों में उपाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह मेघसर, महासचिव, आर.एन.गौड, जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषिराज राठौड, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. एस.एस. सेवदा, सुरेन्द्र सिंह, योगेश्वर शर्मा, एम.एल.महेश्वरी, शिवदत्त शर्मा, सुनील जैन, निर्मल कौशिक आदि ने भी विचार विमर्श में भाग लिया।

एससी के लोगों पर दर्ज 2018 के मुकदमे वापस होंगे:जूली

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में 2 अप्रेल 2018 को दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में अनुसूचित जाति विशिष्ट संघटक योजना की अनुदान मांगो पर बहस के जवाब में यह जानकारी दी।

पृष्ठ-2 का शेष:- सामाजिक न्याय

अम्बेडकरी आरक्षण का प्रयोग, अमेरिका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, मलेशिया व आयरलैण्ड ने अपने देशों के जन्मजात वंचितों को शक्ति के स्त्रोतों में उनकी वाजिब हिस्सेदारी देने के लिए किया। जिससे दुनिया के वंचितों को वाजिब हिस्सेदारी मिलने से चमत्कारिक परिवर्तन आया। इसके आधार पर डॉ. अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का चैम्पियन कहा जाता है। बहरहाल संविधान द्वारा सामाजिक अन्यायके शिकार बनाये गये लोगों के हित में तरह तरह के प्रावधान किये जाने से कुछ लोगों के जीवन में चमत्कारिक सुधार जरूर आया है। किन्तु शक्ति के स्त्रोतों पर उनका हक नाम मात्र का ही प्राप्त हुआ है। राजनीति में भले ही हिस्सेदारी हो, किन्तु व्यापार, उद्योग, मीडिया, उच्च शिक्षा आदि से आज भी पूरी तरह बहिष्कृत हैं। आज भी देश के 8-10 प्रतिशत उच्च वर्ण के परम्परागत, विशेषाधिकार युक्त, सुविधा सम्पन्न वर्ग का शक्ति के स्त्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्जा है। इस कारण आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी जो मानव जाति की सबसे बडी समस्या है जो भारत में अभी भी कायम है। इस विषय में क्रेडिट सुईसे एजेन्सी की वैश्विक धन बंटवार की जारी छंटवी रिपोर्ट में लिखा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद भारत में आर्थिक असमानता तेजी से बढ रही हैं।

सामाजिक न्याय प्राप्ति के रास्ते पर आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को समाप्त करने में परम्परागत व्यवस्थाएँ सबसे बडी बाधा हैं, इनको समाप्त किये बिना सामाजिक न्याय प्राप्ति का सपना अधूरा रहेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2015 के बीच पन्द्रह वर्षों में जो कुल राष्ट्रीय धन पैदा हुआ उसका 81 प्रतिशत शीर्ष की दस फीसदी आबादी विशेषाधिकार युक्त वर्ग के पास गया, शेष 19 प्रतिशत धन 90 फीसदी जनता के पास आया। जिसमें नीचे की आधी 50 प्रतिशत आबादी के पास 4.1 प्रतिशत ही धन आया है। गैर बराबरी अक्सर समाज में राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से बनती है। सरकार एवं राजनीतिक पार्टियों को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। यह सवाल सर्वाधिक महत्व का हो गया है कि स्वाधीन भारत में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक न्याय के विविध उपायों के बावजूद भी सामाजिक अन्याय की धारा आज भी पूर्ववत जारी है। समाज में असहिष्णुता तथा दलित वंचितों, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं आत्महत्या करने के मामले बढते ही जा रहे हैं। बेरोजगारी सिरसा के मुँह की तरह बढती जा रही है। इसके लिए बेहतर होगा कि आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी को सबसे गंभीर समस्या मानते हुये हम सारी ताकत, शक्ति के स्त्रोतों के पुर्नवितरण पर लगायें। दुनिया के अनेक महापुरूषों ने इसी को इंसानियत की सबसे बडी समस्या बताया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संविधान सभा द्वारा स्वीकार करते समय 25 नवम्बर 1949 को आर्थिक और सामाजिक विषमता को बताते हुये उसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने का आह्वान किया था। सामाजिक न्याय प्राप्ति के रास्ते पर आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को समाप्त करने में परम्परागत व्यवस्थाएँ सबसे बडी बाधा हैं, इनको समाप्त किये बिना सामाजिक न्याय प्राप्ति का सपना अधूरा रहेगा। दुनिया के तमाम शासक शक्ति के स्त्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान वितरण कराके मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या को जन्म देते रहे है। ऐसे में यदि सामाजिक अन्याय को खत्म कर सामाजिक समूहों सवर्णों, ओबीसी/एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा करना चाहिये। यदि सरकारें इसे नहीं माने एवं लागू नहीं करे तब पूना पैक्ट में 24 सितम्बर 1932 के दिन दलित वंचितों से छीने गये प्रथक निर्वाचन का अधिकार दिया जावे तभी हम वैधानिक रूप से अपनी जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक क्षेत्रों में संसाधनों का बंटवारा हासिल कर सकते हैं। अन्यथा तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को शक्ति के स्त्रोतों से वंचित वर्ग मजबूर होकर धराशाही कर सकते है।

-राष्ट्रदूत से साभार

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in